भारत सरकार
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
(सुरक्षा शाखा)

1-34/2009-एसआई

दिनांक 08.02.2010

सेवा में,

सभी यूएएसएल लाइसेंसधारक
सभी सीएमटीएस लाइसेंसधारक

विषय: पुलिस शिकायतें/प्राथमिकी दर्ज कराना एवं वित्तीय दंड

कुछ सेवा प्रदाताओं द्वारा एक मुद्दा उठाया गया है कि उन पर उन मामलों में दंड लगाया जा रहा है जिनमें उपभोक्ता जांच प्रक्रिया अपनाई गई है लेकिन ग्राहकों ने जाली/नकली कागज़ात के आधार पर सिम कार्ड प्राप्त किए हैं। सेवा प्रदाताओं के अनुसार, ऐसे मामलों में उनके पास कागजात की सत्यता को जांचने के लिए कोई कार्य-पद्धति नहीं है और वे केवल जांच प्रक्रिया को ही अपना सकते हैं, इसलिए उन पर इस आधार पर दंड नहीं लगाया जाना चाहिए। इस मुद्दे की दूरसंचार विभाग में जांच की गई है और निम्नलिखित स्पष्टीकरण जारी किए गए हैं।

1. दूरसंचार विभाग के दिनांक 23.03.2009 के पत्र के अनुसार, अब से, उन मामलों जिनमें ग्राहकों द्वारा नकली कागज़ात प्रस्तुत किए जाते हैं और मूल कागज़ात भी जाली होते हैं, में सेवा प्रदाताओं/वितरकों/फ्रेन्चाइजी द्वारा ही, जैसा मामला हो, प्राथमिकी/पुलिस शिकायत दर्ज कराई जाएगी। उस स्थिति में यदि सेवा प्रदाता द्वारा जांच की प्रक्रिया अपनाई गई है तो उसपर कोई वित्तीय दंड नहीं लगाया जाएगा। इस बात का प्रथम दृष्टया साक्ष्य होना चाहिए कि सेवा प्रदाताओं या उनके प्रतिनिधियों द्वारा कोई जालसाजी नहीं की गई है। उन मामलों, जिनमें सेवा प्रदाताओं द्वारा जांच प्रक्रिया अपनाई नहीं गई है भले ही कागज़ात नकली हों, तो भी सेवा प्रदाता पर दंड लगाया जाएगा। जालसाजी के पकड़े जाने पर कनेक्शन काटने संबंधी दिशा-निर्देश जारी रहेंगे जैसा जांचरहित ग्राहकों के कनेक्शन काटे जाने के मामलों में किया जा रहा है।

2. उन मामलों जिनमें वितरकों/फ्रेन्चाइजी द्वारा जालसाजी की गई है, संबंधित सेवा प्रदाता उस वितरक/फ्रेन्चाइजी के विरूद्ध पुलिस शिकायत/प्राथमिकी दर्ज कराएगा और सेवा प्रदाता पर वित्तीय दंड लगाया जाएगा।

3. यदि सेवा प्रदाता वितरक/फ्रेन्चाइजी के विरुद्ध पुलिस शिकायत/प्राथमिकी दर्ज नहीं कराता है या सेवा प्रदाता स्वयं जालसाजी में शामिल है तो संबंधित टीईआरएम सेल द्वारा सेवा प्रदाता के विरूद्ध पुलिस शिकायत/प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।

4. वित्तीय दंड की मात्रा दूरसंचार विभाग द्वारा पहले ही निर्धारित की जा चुकी है और उसका अनुपालन किया जाए।

5. जम्मू एवं कश्मीर, असम, पूर्वोत्तर सेवा क्षेत्रों में मोबाइल सेवाओं के बारे में समय-समय पर जारी विशेष निर्देश/सुरक्षा उपाय वैध रहेंगे।

(एम.के. बंसल)
निदेशक (एस-1)

प्रतिलिपि:-

1. टीआरएआई
2. उपमहानिदेशक (एएस-I)/ उपमहानिदेशक (एएस-II)
3. सभी उपमहानिदेशक (टीईआरएम) सेल
4. उपमहानिदेशक (सी एंड ए) वेबसाइट पर पोस्टिंग हेतु